(xviii) कोन्डुल

(xix) कबरा

3. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पी ए टी) विनियम, 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को भी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है:–

(i) 'आदिबसेरा' जो, अबरडीन गाँव, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान के सर्वेक्षण सं. 2265/5, पर 1000 वर्ग मी. क्षेत्रफल में स्थित है ।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टूसनाबाद में जारवाओं के लिए आरक्षित वार्ड जो विद्यमान प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र के पश्चिम की ओर सर्वेक्षण सं. 103/1, मुस्लिम बस्ती में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है ।

(iii) जी बी पंत अस्पताल के स्पेशल वार्ड के प्रथम मंजिल पर जारवाओं के लिए आरक्षित वार्ड जो स्पेशल वार्ड के ग्राअन्ड फलोर से सीढ़ी से जुड़ा हुआ है ।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कदमतला में जारवाओं के लिए आरक्षित वार्ड जो विद्यमान प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र के विद्यमान भवन के पश्चिम की ओर सर्वेक्षण सं. 1/6, शान्तनु गाँव में 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है ।

4. अंडमान तथा निकेबार द्वीपसमूह (आदिम जन जातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार आदिम जन जाति के सदस्य को छोड़ कर कोई भी दूसरा व्यक्ति उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी पास में शामिल शर्तों के पालन की शर्त पर तथा प्राधिकार के बिना अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश निषेध है ।

5. आदिम जन जाति के सदस्य को छोड़ कर कोई दूसरा व्यक्ति प्रशासक की पूर्व मंजूरी के बिना, आरक्षित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि को प्राप्त नहीं कर सकेगा अथवा उस पर कोई उत्पाद अथवा ऐसी भूमि पर फसल नहीं उगा सकेगा या प्रशासन द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तो के अनुसार या उसके अधीन को छोड़कर ऐसे क्षेत्र में कोई व्यवसाय या व्यापार कर सकेगा ।

6. जो कोई भी आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के प्रतिबन्धों से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा भूमि का अर्जन करता है अथवा ऐसे क्षेत्र में व्यवसाय अथवा व्यापार करता है, को दो वर्षों की सजा हो सकती है जिसके साथ दस हजार रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता है ।

7. सभी सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको और सहकारी बैंको के कर्मचारी को ऐसे आरक्षित क्षेत्र में ड्यूटी पर जाते समय और ऐसे सरकारी कर्मचारियों और बैंको के कर्मचारियों के परिवारों को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए पास लेने से छूट है ।

8. दक्षिण अंडमान में कान्सटेन्ट बे से मध्य अंडमान के लीविस इन्लेट बे तक जारवा जन जाति आरक्षित क्षेत्र के चारो ओर 5 कि. मी को क्षेत्र को बफ्फर जोन घोषित किया गया है । आदिम जन जाति के लोगों को छोड़ कर किसी व्यक्ति का किसी प्रकार के व्यवसाय अथवा पर्यटन क्रियाकलाप के लिए बफ्फर ज़ोन में प्रवेश करना प्रतिबन्धित है ।